न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्री पांचू राम मावर पुत्र स्व॰ श्री चौथमल मावर निवासी म॰नं॰ 33–बी, धोबी मोड, कल्याण नगर करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान ।

अपीलार्थी

बनाम

1. जीतू उर्फ शंकर पुत्र श्री पांचूराम
2. श्रीमती सीमा पंवार पत्नी श्री जीतू उर्फ शंकर पुत्री स्व॰ सीताराम

निवासीयान म॰नं॰ 33–बी, धोबी मोड, कल्याण नगर करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 25.08.2022 माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 57/2021 ब उनवानी पांचूराम बनाम जीतू उर्फ शंकर व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 13.12.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 57/2021 ब उनवानी पांचूराम बनाम जीतू उर्फ शंकर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी का पुत्र व प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी की पुत्रवधु है । जिनके विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण के कब्जे से अपीलार्थी के मालिकाना हक एवं स्वामित्व के मकान से कब्जा व सामान हटाया जाकर अपीलार्थी के मकान का विपक्षी से परिसर, कमरे व रसोई का खाली कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया था। विपक्षीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षीगण स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, अपने गुण्डे साथियों अथवा किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति से अपीलार्थी व उसकी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पत्नी अथवा परिवार के किसी भी सदस्यों को किसी भी प्रकार की धमकियां ना तो स्वयं देवे एवं ना ही दिलाये तथा अपीलार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता, गाली गालौच, मारपीट एवं अपीलार्थी को बालात्कार के झूंठे मुकदमें में गिरफ्तार करवा देने की धमकियां ना देवे और ना ही किसी भी प्रकार से अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी को आंतकित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करें एवं अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी के मकान में आने जाने के रास्ते में सीढियों में व कमरे के आगे सामान रख कर उनका रास्ता अवरूद्व ना करे और ना ही सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे। प्रत्यर्थीगण को नोटिस की तामील होने के बाद अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपस्थित नहीं होने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 2 कभी भी अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 07.07.2022 को बहस सुनी जाकर दिनांक 14.07.2022 को वास्ते आदेश नियत की जाकर दिनांक 04.08.2022 को तत्पश्चात दो चार दिन में मालुम कर लेने की कहते हुये समय व्यतीत कर दिनांक 13.09.2022 को अपीलार्थी को बताया गया कि निर्णय पारित कर दिया गया है। जिस पर अपीलार्थी की ओर से आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी की जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेश को दिनांक 25.08.2022 को ही निर्णय पारित कर दिया । " प्रकरण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मामला मकान खाली कराने का है जिसमें की प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ लडाई झगडा मारपीट व अपशब्दों का कथन है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य माननीय सिविल न्यायालय में कई प्रकरणों में राजीनामा होने का भी उल्लेख किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का बारीकी से अवलोकन के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ स्वयं लडाई झगडा ना करे ना ही किसी से करावें। साथ ही अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसकी पत्नी को उक्त मकान में स्वतंत्र रूप से रहने में बाधा उत्पन्न नहीं करें व प्रार्थी से यदि कोई व्यक्ति, रिश्तेदार घर पर मिलने, रहने आवे तो मनाही नहीं करें। अप्रार्थीगण को शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बाहर निकाले जाने का कथन किया गया है, उसके लिए अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे सद्व्यवहार बनाये रखे, यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त की पालना नहीं की जाती तो प्रार्थी न्याालय में पूर्ण प्रमाण के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय संबंधित थानाधिकारी को भी आदेशित करता है कि वे प्रार्थी की पूर्ण जान माल की सुरक्षा हेतु संबंधित बीट अधिकारी के माध्यम से दो माह तक कर पन्द्रह दिन में रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आलौच्य आदेश प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर ना करके जल्दबाजी में पारित किया जाकर तथ्यात्मक एवं विधि की भूल कारित की गई है । अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) Civil Court Case 642(P&H) or BalbirKaur v/S Presiding officer cum SDM of thr maintenance & welfare of senior citizen Tribunal, pehowa, District Kurushetra & Ors. (2) 2018 (3) Civil Court cases 658 (P&H) Jagtar singh & oth. v/s State of Punjab & Ors. (3) 2017 (4) Civil Court 241 (Delhi) Sunny paul & Ors v/s State of N.C.T of Delhi & ors. (4) 2004 (!) Civil Court cases 282 (Orissa) पेश किये गये थे। जिन पर अपना ध्याान आकृर्षित नहीं करते हुये निर्णय पारित किया गया है ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से पूर्व में सन् 2019 में प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्व दिनांक 18.01.2019 को प्रस्तुत किये गये परिवाद में इसी प्रकार का निर्णय पारित कर वादग्रस्त सम्पत्ति का निरीक्षण का मौके की स्थिति रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आदेश दिनांक 12.04.2019 को कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कमिश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि अप्रार्थी के दोनों पुत्र प्रार्थी से अलग रहते है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कमिश्नर की रिपोर्ट पर सही प्रकार से विचार ना करके जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया था। जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे तत्पश्चात प्रत्यर्थी सख्या 2 द्वारा राजीनामा दिनाक 23.01.2020 को कर लिये जाने से अपीलार्थी द्वारा अपील में राजीनामा कर लिया गया था तथा उसी प्रकार उक्त आदेश दिनांक 25.08.2022 भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी एवं उसकी पत्नी की उम्र एवं उनके वरिष्ठ नागरिक होने तथा अधिनियम की धारा 22 व 23 के प्रावधानों की मंशा एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के संबंध में पारित अपने निर्णय में जो सिद्वान्त पारित किये गये है, उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित ना करके व उनका अवलोकन ना करके न्यायिक दृष्टान्तों मे माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त का तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का अपने आदेश में उल्लेख ना करके जल्दबाजी मे निर्णय पारित करके तथ्यात्मक एवं विधि की भूल कारित की गई है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट से न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किये जाने के निर्देश दिये ये है। अतः उक्त आधार पर अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का सही ढंग से अवलोकन ना करके जल्दबाजी में निर्णय पारित कर तथ्यात्मक भूल कारित की गई है। जबकि अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिसमें दिनाक 23.01.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये 1,00,000/–रूपये की राशि प्राप्त कर प्रार्थी के मालिकाना हक एवं स्वामित्व की सम्पत्ति वादग्रस्त को खाली करके देने बाबत राजीनामा मय अन्य शर्तो के नोटेरी से तस्दीक करवाया गया था, भी शामिल है। जिस पर भी गौर नहीं किया गया । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के उक्त प्रकरण में चस्पा ना होने के संबंध में उन सिद्वान्तों का निर्णय में उल्लेख ना करके एवं उन सिद्वान्तों के उक्त प्रकरण में चस्पा न होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख ना करके विधि की भूल कारित की गई है। अतः अपील स्वीकार करते हुये अप्रार्थिया से प्रार्थी के मालिका हक एवं स्वामित्व के मकान नम्बर 3 बी, धोबी मोड, कल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर स्थित कमरे, जिस पर अप्रार्थिया ने जबरन अवैद्य रूप से बतौर अतिचारी कब्जा कर रखा है, को अप्रार्थिया से खाली करवाया जावे व कमरे से अप्रार्थिया का सामान हटवाया जाकर कमरे का खाली कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करवाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी अपने माता–पिता का सम्मान करता है और किसी प्रकार से अपीलार्थी को प्रताड़ित नहीं करता है। इसलिए अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पक्षकारान के मध्य विभिन्न सिविल न्यायालयों में प्रकरण लम्बित है। जिनमें अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष का तय होना है। इसलिये माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी किसी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नं. 33 बी, धोबी मोड, श्री कल्याण नगर, करतारपुरा, मुख्य रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 पुत्रवधु से मकान खाली कराने का अनुतोष चाहा है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विभिन्न सिविल न्यायालयों में प्रकरण लम्बित है। जहां से अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष भी तय होगा। इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी व उसकी पत्नी के प्रति सद्व्यवहार बनाये रखने तथा उक्त सम्पत्ति में अपीलार्थी व उसकी पत्नी को स्वतंत्र रूप से रहने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जा चुका है। अधीनस्थ अधिकरण के आलौच्य आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर